राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

पत्रांक : एफ(20)आकाशि/ नि.सं. /पॉलिसी/2020/Spl./01 दिनांक : 01 मई 2020

आदेश

कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना व राजस्थान राज्य की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सत्र 2020-21 में निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा- नवीन महाविद्यालय स्थापित करने / पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा टीएनओसी अभिवृद्धि / पीएनओसी / स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय / स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिए किये गए आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथियों में संलग्न एनओसी कैलेण्डर के अनुसार अभिवृद्धि की जाती है ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

प्रदीप कुमार बोरड , IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान ।
3. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान ।
4. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

संलग्नक - 1

विभाग द्वारा सत्र 2020-21 हेतु जारी संशोधित एनओसी कैलेण्डर

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सत्र 2020-21 में निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा- नवीन महाविद्यालय स्थापित करने / पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा टीएनओसी अभिवृद्धि / पीएनओसी / स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय / स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिए किये गए आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एनओसी कैलेण्डर निम्नानुसार पुन: निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	**विवरण**	**पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि**	**नवीन अन्तिम तिथि**
1.	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम टीएनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	30 अप्रैल, 2020	30 जून, 2020
2.	पूर्व संचालित महाविद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय तथा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/स्नातकोत्तर नवीन विषय हेतु एनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	31 मई, 2020	31 जुलाई, 2020
3.	सत्र 2020-21 हेतु टीएनओसी अभिवृद्धि जारी करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई, 2020	30 सितम्बर, 2020
4.	सत्र 2020-21 से पूर्व संचालित विषय/संकाय में पीएनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त, 2020	31 अक्टूबर, 2020

नोट

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र के समस्त प्रकरणों में कमीपूर्ति करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि से 5 दिवस पूर्व होगी।
2. नवीन महाविद्यालय व नवीन विषयों/संकाय (यू.जी./पी.जी.) स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के आवेदन निर्धारित दिनांक तक कमीपूर्ति के अभाव में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे एवम् इन आवेदनों पर किसी भी स्थिति में आगामी सत्र हेतु विचार नहीं होगा।
3. टीएनओसी अभिवृद्धि एवं प्रथम पीएनओसी के प्रकरण निर्धारित अन्तिम तिथि तक कमिपूर्ति के अभाव में नियमानुसार शास्ति राशि जमा करवाने उपरान्त ही सत्र 2020-21 हेतु टीएनओसी अभिवृद्धि के पात्र होगें।
4. पूर्व में पीएनओसी धारक संस्थाओं के ऐसे प्रकरण जो पूर्व संचालित विषय/संकाय में पीएनओसी हेतु विचाराधीन है निर्धारित अन्तिम तिथि तक कमिपूर्ति के अभाव में 2021-22 से कमिक रूप से निरस्त करते हुए सत्र 2020-21 में एक सत्र की टीएनओसी अभिवृद्धि के पात्र होगें।